ई-मेल

स्पीड पोस्ट

वर्ष 2012–13 का बजट आवंटन

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉकः– जी0ओ0–26/सम्पेक्षा/आई0ए0वाई0(सामान्य मद)/2012–13 दिनांक 8 नवम्बर, 2012

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–13 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सामान्य मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–898/38–4–12–29 बजट/2011, दिनांक 30–10–2012 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करे, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–13 के अधीन इंदिरा आवास योजना हेतु प्रावधानित धनराशि में से योजना के कार्यान्वयन हेतु रू0 3951.00 लाख (रूपया उन्तालिस करोड़ इक्यावन लाख मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि में से रू0 3839.51 लाख (रूपया अड़तीस करोड़ उन्तालिस लाख इक्यावन हजार मात्र) संलग्नक के कालम–4 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही हैः–

1– आवंटित की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हों।

3– नवसृजित जनपद अमेठी, शामली, हापुड़, सम्भल को अभी तक केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है। अतः इन जनपदों की धनराशि इनके पैतृक जनपदों को आवंटित की जा रही है। उक्त संबंधित जनपद अनुपातिक आधार पर नवसृजित जनपद को धनराशि उपलब्ध करायें।

4– आवंटित की जा रही इस धनराशि को अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही किया जायेगा।

5– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों एवं संलग्न शासनादेश दिनांक 30–10–2012 में दिये गये निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक में न रखा जाय।

6– आवंटन आदेश में उल्लिखित शातो का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इस समयान्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक– ''4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय–03–ग्रामीण आवास–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित

IAY RAMPRASAD 12-13